

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर / सहरसा / अररिया / शेखपुरा।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹226.045 लाख (दो करोड़ छब्बीस लाख चार हजार पाँच सौ रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष -2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष 0016 - राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या- 39 विस्तृत शीर्ष- 37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01-अनुग्रह अनुदान
(राशि रुपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	भागलपुर	917.20 (नौ करोड़ सतरह लाख बीस हजार)	24.00 (दो बीस लाख)	941.20 (नौ करोड़ इकतालीस लाख बीस हजार)
2	सहरसा	558.881 (पाँच करोड़ अनठावन लाख अठासी हजार एक सौ)	20.258 (बीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ)	579.139 (पाँच करोड़ उनसी लाख तेरह हजार नौ सौ)
3	अररिया	48.00 (अड़तालीस लाख)	165.787 (एक करोड़ पैंसठ लाख अठहत्तर हजार सात सौ)	213.787 (दो करोड़ तेरह लाख अठहत्तर हजार सात सौ)
4	शेखपुरा	132.00 (एक करोड़ बत्तीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	148.00 (एक करोड़ अड़तालीस लाख)
	कुल योग	1656.081 (सोलह करोड़ छप्पन लाख आठ हजार एक सौ)	226.045 (दो करोड़ छब्बीस लाख चार हजार पाँच सौ)	1882.126 (अठारह करोड़ बेयासी लाख बारह हजार छः सौ)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 169 दिनांक 28.02.19 एवं 168 दिनांक 28.02.19 / सहरसा के पत्रांक 5-1 दिनांक 26.02.19, 4-1 दिनांक 26.02.19, 6-1 दिनांक 26.02.19, 21-1 दिनांक 26.02.19 एवं 20-1 दिनांक 23.02.19 / अररिया के पत्रांक 207 दिनांक 02.03.19 / शेखपुरा के पत्रांक 66 दिनांक 04.03.19 द्वारा की गई अध्याचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15, 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.18 एवं 320/आ0प्र0 दिनांक 01.02.19 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों / घायलों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय उरी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 25.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।
8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 25.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।
11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 25.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।
14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्ता, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

झापांक -/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-


प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

झापांक: 103/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/3/19

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव